


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जां
----------------	------------------------------------	-----------------------------------------

20/6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

पत्राचार के माध्यम से लोक अदालत अभियान के अंतर्गत  
 20/6/18 को 8 बजे के बीच में विवेकानंद सरस्वती  
 द्वारा एक केस का सुनवाई के क्रम में - दिनांक 19/6/18  
 को 6/18 को सुनवाई के क्रम में दिनांक 19/6/18 को  
 सुनवाई के क्रम में दिनांक 19/6/18 को सुनवाई के क्रम में  
 दिनांक 19/6/18 को सुनवाई के क्रम में दिनांक 19/6/18 को  
 सुनवाई के क्रम में दिनांक 19/6/18 को सुनवाई के क्रम में  
 दिनांक 19/6/18 को सुनवाई के क्रम में दिनांक 19/6/18 को  
 सुनवाई के क्रम में दिनांक 19/6/18 को सुनवाई के क्रम में  
 दिनांक 19/6/18 को सुनवाई के क्रम में दिनांक 19/6/18 को

  
**सहायक अधिकारी एवं**  
 सहायक कलेक्टर  
 गांधीपुरा (पीतरावा)

डिक्री व मुकदमा इब्तादाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
ईजलास श्री के० आर० खौड, आर० ए० एस०

- 1-2 जना रेंडू पिता रामनाथ कुमावत नि० सुरजपुरा तह० शाहपुरा
  - 3-3 मेरु मोहन, छोटू सत्यनारायण, हीरी, लाड पिता माधु कुमावत नि० सुरजपुरा
  - 4- मगदू पत्नि माधु कुमावत नि० सुरजपुरा तह० शाहपुरा
- वादीगण

बनाम

- 1-2 लादु, सुवा पिता सुरजमल कुमावत निवासी सुरजपुरा तह० शाहपुरा
  - 3- तहसीलदार, शाहपुरा
- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188-53 आर० टी० ए०

मुकदमा नम्बर 209/2007 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाके ग्राम शम्पुरा प० ह० रूपपुरा तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 452 रकबा 0.21 है०, 454 रकबा 0.32 है०, 455 रकबा 0.08 है०, 456 रकबा 0.54 है०, 458 रकबा 0.05 है०, 459 रकबा 0.06 है० एवं 464 रकबा 0.03 है० कुल किता 07 रकबा 1.29 है० मे दर्ज प्रतिवादीगण लादु, सुवा पिता सुरजमल कुमावत सा० सुरजपुरा मे से 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवाड़ा किया जाकर रेकार्ड मे इन्द्राज व नक्शों मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी भी संस्थान से ऋण प्राप्त नही करे और विवादित जमीन को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित या रहन नही रखे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 05 सन् 2017 को जारी की गई।



प्रमाणित फोटोस्टैट प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

397	
श्री अजित	
श्री अजित	
19-7-17	
1	
P.S.	
1	
20-7-17	

